न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 53/2020
दायर दिनांक :– 13.02.2020

अनवान

श्री रामा पिता माधू धाकड नि. काबरी तह0 जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. श्री रूपा पिता प्रताप मीणा नि. बाडा अमरगढ तह0 जहाजपुर
2. श्री भैरू पिता धन्ना मीणा नि. अमरगढ तह0 जहाजपुर
3. श्री रतन लाल पिता गोपाल लाल पुरोहित नि. अमरगढ तह0 जहाजपुर
4. श्री हरलाल पिता लच्छू धाकड नि. काबरी तह0 जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम अमरगढ प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 293 रकबा 5.13 बीघा, आ.न. 294 रकबा 6.09 बीघा कुल किता 2 रकबा 12.02 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अमरगढ प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 293 रकबा 5.13 बीघा, आ.न. 294 रकबा 6.09 बीघा कुल किता 2 रकबा 12.02 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 18:08:43